



कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

नोटिस का तामिला नहीं कराया जा सका है। चौकीदार राजेन्द्र पासवान के द्वारा लिखित में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्रामीणों से पुछ ताछ करने पर उनके द्वारा बतलाया गया है कि इस नाम का कोई ब्यक्ति इस गांव में निवास नहीं करता है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा पुचराना स्थाना नं० 319, खाता सं० 23, खेसरा सं० 135, रकबा 4.26 से संबंधित जमाबंदी रैयत नरेश बिहारी पिता हरि चरण सिंह के नाम से ग्राम पुचराना में ना तो ऑफलाईन और ना ही ऑनलाईन पंजी-2 में कोई जमाबंदी संधारित है। अतः उक्त वाद बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत चलने योग्य नहीं है। अतः इसे समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में उक्त भूमि पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

अंचल पदाधिकारी
उत्तरपुर

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - पलामू एवं झरखपुर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमी
नवरंग सिंह & पुत्र	चुचुगाड	319	23	135	4.26	गैरमजसुआ	अनाई
बुधचरण सिंह						माफिक	-डा/डी

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- जंगल-डा/डी

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- मांग पंजी II स्पष्ट नहीं है

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मों का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

मांग पंजी II स्पष्ट नहीं है

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :-

NA

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (क) अनिबंधित सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

मांग पंजी II में स्पष्ट नहीं है

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/-रुपये से कम या इससे अधिक) :-

बचल पदाधिकारी

अंतरपत्र

अवैध जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अधिनियम से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा वाखिल रिटर्न से

(ख) अंचल / अनुमंडल में संधारित बंदोबस्ती पंजी से

(ग) वाखिल-खारिज / भू-हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :-

ग्राम पंजी
II में 24(1)
नहीं है

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व से कायम है :-

(ख) क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :-

11. क्या दिनांक-01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? :-

12 वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड - बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :-

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-

199/2017-18 (अनुरोध क्रमांक 1) धारा 11(1) के तहत अवैध जमाबंदी का नौदित नामिका अग्रज नामिका ने नौदितार से करद करद उनके द्वारा परिवर्तित किया गया कि नौदितार में दर्ज शर्त के अन्तर्गत उस ग्राम के ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहे पर निराला तथा निरा कि इस नाम का व्यक्ति मौजूद नहीं है निराला ठहरी इलाका नही जाना-काद रहा है। मोहं दारी मोहं न मानलाइय उपलब्ध है। और नही अफलाइय मोहं पंजी ना विवरण उचित प्रतीत होता है। अतः अग्रज करद इस जांच प्रतिवेदन आर संधारित।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

राजस्व उप-निरीक्षक द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन का जाँच किया, सर्व प्रामा। अतः अवैध जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा किया जा सकता है।

अंचल अधिकारी, भूमि-सुधार उप समाहर्ता, उत्तरपुर।

अनुमंडल पदा., उत्तरपुर।

अपर समाहर्ता, पलामू।

उपायुक्त, पलामू।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- नवरंग सिंह 3/0 हरिनारायण सिंह
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या पृष्ठ सं: पर कायम है।

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खसरा सं.	रकबा
<u>चुचरगाडा</u>	<u>319</u>	<u>23</u>	<u>135</u>	<u>4.26</u>

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- मौजा पंजी II पर स्पष्ट नहीं है
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- श्रीमान लाला मारिक
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :-
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :- मौजा पंजी II पर स्पष्ट नहीं है

8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)
:- मौजा पंजी II पर स्पष्ट नहीं है

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>मौजा पंजी II</u>	<u>पर स्पष्ट</u>	<u>नहीं है</u>	

(Signatures and stamps at the bottom of the page)

कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

बाद अभिलेख सं० 199/20-18-19 (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम नयन सिंह

पिता - हरि चरण सिंह

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा चुचरुमाड थाना नं०.....
खाता सं० 23..... खेसरा नं० 135..... रकबा 426..... से संबंधित आपके नाम से
ह० नं० 5..... के पंजी-II भाग 135..... के पृष्ठ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम
दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध
प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे
पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व
जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल
प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर
पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा
कर दी जायेगी।




10.12/22
अंचल अधिकारी,
उत्तरपुर।